

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)  
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 02/2019



**बउनवान**

राजस्थान सरकार जय्ये :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

**बनाम**

श्री लेखराज नागर उम्र 33 वर्ष पुत्र बद्रीलाल नागर जाति नागर निवासी ट्रांसफार्मर के पास सीसवाली तहसील अन्ता जिला बारां (मौके पर मौजूद मालिक व विक्रेता) मैसर्स श्री राधे राधे मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बस स्टेण्ड सीसवाली जिला बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ.

(प्रार्थी स्वयं)

2- श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक

(अप्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 29.05.2019**

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.04.2018 को मैसर्स श्री राधे राधे मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बस स्टेण्ड सीसवाली जिला बारां पर पहुंचा। वहाँ पर श्री लेखराज नागर पुत्र बद्रीलाल नागर (मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 26.04.2018 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारां के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध (कोटा फ्रेश)** जो 500 मि०ली० पैक में विक्रय हेतु रखे हुए था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** 500 मि०ली० की 04 पॉलिपेक थैली को खोलकर साफ सुखी तपेली में तुलवाकर नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री लेखराज नागर पुत्र बद्रीलाल नागर (मालिक एवं विक्रेता) को 68/-रु. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहन श्री रविन्द्र व श्री महावीर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ़ेश)** 02 लीटर को चार नमूना भाग में अलग-अलग कर खाली साफ एवं सूखे कांच के जारों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 40-40 बूँदें डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच-820 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-2 मय खाली पॉलीपैक के कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच-820 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूना पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री लेखराज नागर पुत्र बद्रीलाल नागर (**मालिक एवं विक्रेता**) ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/131 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 302/FSSA/Kota/Act/2018/335 दिनांक 31.05.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ़ेश)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Baranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स श्री राधे राधे मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बस स्टेण्ड सीसवाली जिला बारां द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं आई0डी0 की छायाप्रति पेश किया गया एवं अग्रिम कोई क्रय बिल पेश नहीं किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 28.01.2019 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर अंतिम सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ़ेश)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जाँच में **मिथ्याछाप (Mis Baranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य पदार्थ डबल टोण्ड दूध (कोटा फ्रेश) एक स्थिति में रखे हुये थे। क्योंकि इनका निर्माण अप्रार्थी नहीं करता है। यह एक स्थिति में कोटा फ्रेश कम्पनी से सीधे विक्रय के लिये दिये जाते हैं। इस कारण इस पेक में अन्दर क्या है, इसकी जिम्मेदारी अप्रार्थी की नहीं है। यह जिम्मेदारी कोटा फ्रेश डबल टोण्ड दूध निर्माता की है। इसलिए कम्पनी को पक्षकार बनाये वगैर यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने स्पष्ट लिखा है कि पोलीपेक थैली को खोलकर नमूना जांच के लिए लिया है। इस कारण पोलीपेक में अन्दर क्या मिलावट है, इसकी जिम्मेदारी निर्माता की होती है और इस प्रकरण में निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं है। खाद्य पदार्थ डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश) के नमूने लिये गये हैं। इसलिए कोटा फ्रेश को पक्षकार न बनाकर भारी गलती की है तथा खाद्य पदार्थ डबल टोण्ड दूध (कोटा फ्रेश) 20 ग्रान्टेड पाया गया है। इस कारण कोटा फ्रेश निर्माता ही इसके लिए जिम्मेदार है। जिसमे मेरे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स श्री राधे राधे मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बस स्टेण्ड सीसवाली जिला बारां द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं आई0डी0 की छायाप्रति पेश की गई। उक्त डबल टोण्ड दूध (कोटा फ्रेश) का बिल जिससे प्राप्त किया गया प्रस्तुत नहीं करने से कम्पनी को पार्टी नहीं बनाया गया। अप्रार्थी को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 302/FSSA/Kota/Act/2018/335 दिनांक 31.05.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध(कोटा फ्रेश)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ज पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नहीं करवायी गई है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण मे प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थी के अभिभाषक की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **डबल टोण्ड दूध (कोटा फ्रेश) 500 मि.ली.** जांच मे **मिथ्याछाप ( Mis Baranded )** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जर्माना राशि जर्ज चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)